



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273722
CG-DL-E-22062026-273722

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3158]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3158]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3287(अ).— केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 2010 (2010 का 42) की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3025 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2022 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, -

(क) क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	(क) अधिनियम की धारा 8 के उल्लंघन में प्रशासनिक व्ययों के लिए प्राप्त किए गए अभिदाय के बीस प्रतिशत से अधिक विदेशी अभिदाय की अदायगी के लिए धारा 37 के अधीन दंडनीय अपराध।	ऐसे विदेशी अभिदाय का एक लाख रुपये या पांच प्रतिशत जो अनुज्ञेय सीमा से अधिक भुगतान किए गए हो, जो भी उच्चतर हो।	यथास्थिति, निदेशक, या अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग के प्रभारी उप सचिव।
	(ख) विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम,	सट्टेबाजी गतिविधि में निवेश	यथास्थिति, निदेशक, या

	2011 के नियम 4 के साथ पठित अधिनियम की धारा 8(1) के उल्लंघन में सट्टेबाजी गतिविधियों में विदेशी अभिदाय के उपयोग के लिए धारा 37 के अधीन दंडनीय अपराध।	की गई रकम के तीस प्रतिशत या एक लाख रुपये, जो भी उच्चतर हो; और उससे अर्जित विवरणी के एक सौ प्रतिशत।	अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग के प्रभारी उप सचिव।
	(ग) उनसे भिन्न प्रयोजनों के लिए जिसके लिए अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के उल्लंघन में इसे प्राप्त किया गया था विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए धारा 37 के अधीन दंडनीय अपराध।	ऐसे प्रयोजन से भिन्न अन्य प्रयोजन के लिए इस प्रकार उपयोग की गई रकम के तीस प्रतिशत, जिसके लिए ऐसा विदेशी अभिदाय प्राप्त किया गया था या एक लाख रुपये, जो भी उच्चतर हो।	यथास्थिति, निदेशक, या अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग के प्रभारी उप सचिव।

(ख) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(1)	(2)	(3)	(4)
4.	(क) अधिनियम की धारा 11 का उल्लंघन करते हुए विदेशी अभिदाय को स्वीकार [या उपयोग] करने के लिए धारा 35 के अधीन दंडनीय अपराध।	विदेशी अभिदाय से एक लाख रुपये या तीस प्रतिशत प्राप्त की गई संख्या [या, यथास्थिति, उपयोग की गई हो], जो भी उच्चतर हो।	यथास्थिति, निदेशक, या अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग के प्रभारी उप सचिव।
	(ख) ऐसे प्रयोजन के लिए या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विदेशी अभिदाय का उपयोग करके जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त नहीं किया गया है विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 9 (1ख) के साथ पठित धारा 11 के उल्लंघन के लिए धारा 35 के अधीन दंडनीय अपराध।	ऐसे प्रयोजन के लिए या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में इस प्रकार उपयोग की गई रकम का तीस प्रतिशत या एक लाख रुपये, जो भी उच्चतर हो।	यथास्थिति, निदेशक, या अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी अनुभाग के प्रभारी उप सचिव।

2. यह अधिसूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन से पहले निपटाए गए मामलों पर लागू नहीं होगी और इस प्रकार से निपटाए गए किसी भी मामले को पुनः नहीं खोला जाएगा।

[फा. सं. II/21022/23(12)/2020-एफसीआरए II]

गया प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3025 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 778 (अ), तारीख 20 फरवरी, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3287(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs, vide number S.O. 3025(E), dated the 1st July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

In the said notification, in the Table,—

(a) for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“(1)”	(2)	(3)	(4)
3.	(a) Offence punishable under section 37 for defraying of foreign contribution beyond twenty per cent. of the contribution received for administrative expenses in contravention of section 8 of the Act.	One lakh rupees or five per cent. of such foreign contribution so defrayed beyond the permissible limit, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
	(b) Offence punishable under section 37 for utilisation of foreign contribution in speculative activities in contravention of section 8(1) of the Act read with rule 4 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011.	Thirty per cent. of the amount invested in speculative activity or rupees one lakh, whichever is higher; and one hundred per cent. of the returns earned therefrom.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act
	(c) Offence punishable under section 37 for utilisation of foreign contribution for purposes other than those for which it was received in contravention of clause (a) of sub-section (1) of section 8 of the Act.	Thirty per cent. of the amount so utilised for purposes other than the purpose for which such foreign contribution was received or rupees one lakh, whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.”;

(b) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“(1)”	(2)	(3)	(4)
4.	(a) Offence punishable under section 35 for accepting [or utilising] foreign contribution in contravention of section 11 of the Act.	One lakh rupees or thirty per cent. of the foreign contribution received [or utilised, as the case may be], whichever is higher.	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.
	(b) Offence punishable under section 35 for violation of section 11 read with rule 9(1B) of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 by utilisation of foreign contribution	Thirty per cent. of the amount so utilised for such purpose or in such State or Union	Director, or as the case may be, the Deputy Secretary in-charge of the section responsible for the administration of the Act.”.

	for a purpose or in a State or Union territory for which registration has not been granted.	territory or rupees one lakh, whichever is higher.	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--

2. This notification shall not apply to the cases disposed of before the publication of this notification and no case so disposed of shall be reopened.

[F. No. II/21022/23(12)/2020-FCRA-II]

GAYA PRASAD, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 3025(E), dated the 1st July, 2022 and was subsequently amended *vide* notification number S.O. 778(E), dated the 20th February, 2023.